भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2189

जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत

2189 # श्री मदन राठौड़ :

श्री राजेश परमानंद शुक्ल :

श्री तरुण चुग :

श्री सामिक भट्टाचार्य :

श्रीमती साधना सिंह :

श्री संजय भाटिया :

श्री बाबू राम निषाद :

श्रीमती सीमा द्विवेदी :

श्री शंभु शरण पटेल :

श्री कणाद पुरकायस्थ :

श्री सदानंद महालू शेट तानवडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-लोक अदालतों के माध्यम से लिए गए और निपटाए गए मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान ई-लोक अदालतों के माध्यम से प्राप्त मौद्रिक समझौते की कुल राशि क्या है ;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ इस अवधि के दौरान नई ई-लोक अदालतें शुरू की गई हैं या उनका विस्तार किया गया है ; और

(घ) इस पहल को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करने के लिए आगे क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : ई-लोक अदालत की धारणा कोविड महामारी की अवधि के दौरान पहली बार पुर:स्थापित हुई थी, जब न्यायालयों का भौतिक रूप से कामकाज करना कठिन हो गया था। ई-लोक अदालत में प्रौद्योगिकी का उपयोग उसके अधिकतम फयदे तक किया गया है तथा यह

जनता को घर-द्वार पर न्याय के परिदान हेतु एक प्लेटफार्म बन गया है। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित हुई थी तथा तब से ई-लोक अदालतें विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) द्वारा आयोजित की गई हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ई-लोक अदालतों में सुने गए मामलों, निपटाए गए मामलों तथा धनीय समझौते की तय रकम (वाद-पूर्व तथा लंबित मामलों दोनों में) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध - क** पर है ।

महामारी के पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) ने राष्ट्रीय लोक अदालतों को आयोजित करने में प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनुकूलित किया है । वह ई-लोक अदालतों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं । ई-लोक अदालत के संवर्द्धन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों के अंतर्गत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना, अधिकारियों/न्यायालय कर्मचारिवृंद का तकनीकी प्रशिक्षण तथा माइक्रोसोफ्ट टीम, विद्यो ऐप, व्हाट्सऐप, जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन आदि जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग भी है ।

उपाबंध-क

'ई-लोक अदालत' के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2189 जिसका उत्तर तारीख 06.08.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान सुने गए मामले, निपटाए गए मामले तथा धनीय समझौते की तय रकम का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2023-24			2024-25			2025-26		
		कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)	कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)	कुल मामले		समझौते की कुल रकम (रुपये में)
		सुने गए	निपटाए गए		सुने गए	निपटाए गए		सुने गए	निपटाए गए	
1.	छत्तीसगढ	2,954	765	5,05,63,131	572	496	5,67,64,723	21,113	21,072	10,08,00,000
2.	दिल्ली	1,289	1,289	3,50,94,214	0	0	0	1,080	876	3,84,25,689
3.	गुजरात	14,22,201	9,13,564	50,51,48,092	15,82,964	12,09,542	66,64,05,138	25,49,358	19,07,485	1,28,58,46,284
4.	कर्नाटक	21,562	16,118	21,16,75,192	15,559	14,908	22,47,76,847	6,02,169	6,01,660	2,24,15,28,164
5.	महाराष्ट्र	4,50,23,478	12,35,187	1,78,59,82,711	1,20,27,518	13,16,929	3,05,34,76,799	7,62,767	6,47,269	1,52,34,83,708
6.	उत्तर प्रदेश	1,60,285	1,23,193	5,13,39,627	57,997	30,350	32,79,563	9,119	4,541	26,77,319
	कुल योग	**4,66,31,769**	**22,90,116**	**2,63,98,02,967**	**1,36,84,611**	**25,72,225**	**4,00,47,03,070**	**39,45,606**	**31,82,903**	**5,19,27,61,164**